**के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ, द्वारा महानिदेशालय, केरिपुबल, ब्लॉक नं0 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003.**

संख्या– डब्ल्यू. पॉच– 34/2015– सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो                    दिनांक   06 जनवरी, 2016

## कार्यालय आदेश

के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संस्था (सीडब्ल्यूए) देश भर में तैनात वीर अधिकारियों और जवानों के परिवारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। समय के साथ, सीडब्ल्यूए, के.रि.पु.बल के विकलांग कर्मियों, के.रि.पु.बल के परिवार के सदस्यों एवं बच्चों की भलाई एवं उनकी देखभाल करने और बल की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत मंच के रूप में उभरा है। सीडब्ल्यूए के मुख्य क्षेत्रों में से केरिपुबल कर्मियों के विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की देखभाल करना है और सीडब्ल्यूए केरिपुबल कर्मियों के ऐसे बच्चों को भावानात्मक समर्थन और सहायता प्रदान करता है।

2. ऐसे बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए के.रि.पु.बल वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी– 2015 के समापन समारोह के दिन सीडब्ल्यूए की शासी निकाय ने केरिपुबल के विकलांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए ''मुस्कान–द स्माइल'' नामक एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस योजना में वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी– 2015 की आय से अर्जित रू0 10 लाख की सावधि जमा (एफडी) राशि से सृजित ब्याज की राशि का उपयोग किया गया। तदनुसार, 17/10/2015 को सीईसी सदस्यों और अध्यक्ष सीडब्ल्यूए द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया और इसे कार्यात्मक बनाने का निर्णय लिया गया।

3. सीडब्ल्यूए की पुस्तिका के पैरा–3 (ई) में उल्लिखित लक्ष्य और उद्देश्य ''केरिपुबल परिवारों, विधवाओं, विकलांग और मानसिक रूप से मंद बच्चों, विकलांग कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवारों की भलाई को प्रभावित करने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना है। '' अतः इस योजना को लागू करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है :–

i) नाम :–
इस योजना को ''**मुस्कान – द स्माईल**'' कहा जाएगा।

ii) योजना का उद्देश्य :–
सेवानिवृत्त कर्मियों सहित केरिपुबल परिवारों के विकलांग और मानसिक रूप से मंद बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करना, जिनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीएस(एमए) नियमावली/सीजीएचएस नियमों के तहत कवर नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की गई सावधि जमा (एफडी) के ब्याज से सृजित राशि एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार राशि उपयोग की जाएगी।

iii) <u>निधि निर्माण</u> :–

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सीडब्ल्यूए निधि में से रूपये 10 लाख की सावधि जमा (एफडी) और इसके पुनर्निवेश/अर्जित ब्याज का आगे उपयोग किया जाएगा। निधि का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि रूपये 10 लाख का कोष अपरिवर्तित रहे और इससे सृजित ब्याज का उपयोग केरिपुबल परिवारों की अत्यधिक आवश्यकता होने पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग और मानसिक, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

iv) <u>अभिलेखों का रखरखाव</u> :–

खाते का रख–रखाव सीडब्ल्यूए की मौजूदा रोकड़ बही के माध्यम से किया जाएगा और इसके उचित लेखांकन के लिए सीडब्ल्यूए की योजना यानि ''**मुस्कान–द स्माईल**'' के नाम पर एक अलग पंजिका बनाई जाएगी।

v) <u>पात्रता</u> :–

केवल सेवारत, सेवानिवृत्त और मृत केरिपुबल कर्मियों के संबंध में 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता और मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे ही व्हील चेयर के रूप में सीडब्ल्यूए से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। केरिपुबल परिवार कल्याण संघ (सीडब्ल्यूए) एक एनजीओ सोसाइटी है। संस्था को सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, केरिपुबल परिवारों की अत्यधिक आवश्यकता होने पर व्हील चेयर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

vi) <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

पात्र बच्चे के माता–पिता जिन्हें व्हील चेयर की आवश्यकता है, वे संबंधित आरसीडब्ल्यूए के माध्यम से अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए को आवश्यक/जरूरी चिकित्सा दस्तावेज और बीमारी के विशेषज्ञ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, आरसीडब्ल्यूए योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों के आवेदन को उनके संबंधित ग्रुप केन्द्र/संस्थान के माध्यम से सबसे पहले चिकित्सा निदेशालय को सामान्य माध्यम के तहत साल में एक बार 31 जुलाई तक भेजेगा। चिकित्सा निदेशालय बदले में मामलों की जांच करेगा और अत्यधिक तात्कालिकता में निधि की कमी के कारण कम से कम मामलों में व्हील चेयर के रूप मे सीडब्ल्यूए से सहायता प्रदान करने की सिफारिश करेगा और प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त तक अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए को प्रस्तुत करेगा ताकि शासी निकाय द्वारा मामलों की जांच करते हुए इसे केरिपुबल की वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी से पहले अंतिम रूप दिया जा सके। पेंशनभोगी भी इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित समय पर सीधे अपने निकटतम ग्रुप केन्द्र/आरसीडब्ल्यूए को आवेदन कर सकते हैं।

vii) <u>प्रबंध समिति को शक्तियॉ</u> :–

सीडब्ल्यूए का शासी निकाय जिसमें 6 सदस्य शामिल हैं, इस मामले को चिकित्सा निदेशालय से प्राप्त वार्षिक कल्याण प्रदर्शनी से पहले सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा और कैलेंडर वर्ष में वार्षिक रूप से आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक में या अध्यक्ष सीडब्ल्यूए द्वारा ऐसी विशेष बैठक आयोजित करने के लिए इसके अनुसमर्थन को सुनिश्चित करेगा। नियम में संशोधन करने की शक्ति अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए की मंजूरी के साथ सीडब्ल्यूए की शासी परिषद के पास है।

viii) <u>खरीद</u> :–

व्हील चेयर की खरीद औपचारिकता जीएफआर – 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित आरसीडब्ल्यूए की जिम्मेदारी के तहत की जाएगी।

ix) <u>व्हील चेयर की प्रस्तुतीकरण</u> :–

अध्यक्ष सीडब्ल्यूए या संबंधित आरसीडब्ल्यूए/अध्यक्ष सीडब्ल्यूए द्वारा उचित समझे जाने पर प्रत्यायोजित प्रतिनिधि द्वारा एक अलंकरण समारोह में पीड़ित को व्हील चेयर प्रदान की जाएगी। संबंधित आरसीडब्ल्यूए/ग्रुप केन्द्र समारोह के बाद कार्यक्रम आधारित तस्वीरें सीडब्ल्यूए को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. तदनुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इन आदेशों का पालन करें।

5. इसे अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता0 06/01/2016

(बी.पी.सिंह)

<u>उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए</u>

संख्या– डब्ल्यू.पॉच–34/2015–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो दिनांक 06 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. विशेष महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर अंचल, जम्मू, मध्य अंचल कोलकाता, उत्तर पूर्व अंचल, गुवाहाटी के.रि.पु.बल।
2. अपर महानिदेशक,दक्षिण अंचल, केरिपुबल, हैदराबाद।
3. महानिरीक्षक –पश्चिमोत्तर सेक्टर/दक्षिणी सेक्टर/मध्य प्रदेश सेक्टर/ पश्चिमी सेक्टर/पूर्वी सेक्टर/बिहार सेक्टर/उत्तरी सेक्टर/उत्तर पूर्व सेक्टर/कोबरा सेक्टर/मध्य सेक्टर/मणिपुर एवं नागालैंड सेक्टर/श्रीनगर सेक्टर/जम्मू सेक्टर/त्रिपुरा सेक्टर/द्रु.का.बल सेक्टर/राजस्थान सेक्टर/पश्चिम बंगाल सेक्टर/ओड़िसा सेक्टर/झारखंड सेक्टर/छत्तीसगढ़ सेक्टर/ऑप्स कश्मीर सेक्टर/ऑप्स जोरहाट सेक्टर, के.रि.पु.बल।

4. महानिरीक्षक / प्राचार्य, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू / केरिपुबल अकादमी, कादरपुर, के.रि.पु.बल।
5. सभी संयुक्त अस्पतालों के महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
6. सभी ऑप्स / सिगनल / प्रशिक्षण संस्थान / पीडीजी सहित सभी रेंजों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
7. सभी ग्रुप केन्द्रों / के.ह.भंडारों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
8. सिग्नल / द्रु.का.बल / कोबरा / एसडीजी / पीडीजी बटा0 के कमांडेंट सहित सभी बटालियनों के कमांडेंट, केरिपुबल।

हस्ता0 06 / 01 / 2016
(बी.पी.सिंह)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

आंतरिक :–

महानिदेशक के स्टॉफ अधिकारी एवं वरिष्ठ निजी सचिव।
अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) / (मुख्यालय) / (ऑप्स एवं निर्माण) के वरिष्ठ निजी सचिव।
वित्तीय सलाहकार / महानिरीक्षक –
(कार्मिक / ऑप्स / प्रशा0 / निर्माण / संचार / स्थापना / संभरण / प्रशिक्षण / आसूचना / विशेष प्रशिक्षण / निदेशक(चिकित्सा) / सलाहकार (आसूचना / प्रशिक्षण)) के सहा.कमा. / निजी सचिव।
उप महानिरीक्षक (कल्याण / निर्माण / विधि / ऑप्स–1 / 2 / कार्मिक / गोप0 एवं सतर्कता / स्थापना / संगठन / भर्ती / प्रशिक्षण–1 / 2 / 3 / स्पोर्टस / तकनीकी / आई.टी. / उपकरण / संचार / संभरण / मोटर परिवहन एवं आयुध / आसूचना / उप वित्तीय सलाहकार / जनसंपर्क अधिकारी)
कमांडेंट (आसूचना / निर्माण / संभरण / ऑप्स)
महानिदेशालय के सभी शाखाएं।

**के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ, द्वारा महानिदेशालय, केरिपुबल, ब्लॉक नं0 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003.**

संख्या– डब्ल्यू. पॉच– 34/2015–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो दिनांक 07 अप्रैल, 2016

## कार्यालय आदेश में अनुशेष

विषय :– निधि के संबंध में ।

कार्यालय आदेश दिनांक 06/01/2016 संख्या–डब्ल्यू–34/2015–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन/अनुशेष किया जाता है, जिसमें जिसमें के.रि.पु. बल के कार्मिकों के विकलांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ ने ''**मुस्कान–द स्माइल**'' नामक एक योजना शुरू की गई थी :–

| पैरा | के लिए | पढ़ें |
|---|---|---|
| 3 (iii) | किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सीडब्ल्यूए निधि में से रूपये 10 लाख की सावधि जमा (एफडी) और इसके पुनर्निवेश/अर्जित ब्याज का आगे उपयोग किया जाएगा। निधि का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि रूपये 10 लाख का कोष अपरिवर्तित रहे और इससे प्राप्त ब्याज का उपयोग केरिपुबल परिवारों की अत्यधिक आवश्यकता होने पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग और मानसिक, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए किया जाएगा। | किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सीडब्ल्यूए निधि में से रूपये 20 लाख (10 लाख सीडब्ल्यूए निधि से और 10 लाख महानिदेशक, के.रि.पु.बल से दिनांक–01/02/2016 को प्राप्त) की सावधि जमा (एफडी) और इसके पुनर्निवेश/अर्जित ब्याज का आगे उपयोग किया जाएगा। निधि का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि रूपये 20 लाख का कोष अपरिवर्तित रहे और इससे सृजित ब्याज का उपयोग केरिपुबल परिवारों की अत्यधिक आवश्यकता होने पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग और मानसिक, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए किया जाएगा। |

हस्ता0 07/04/2016
(बी.पी.सिंह)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

संख्या– डब्ल्यू.पॉच–34/2015–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो दिनांक अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. विशेष महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर अंचल, जम्मू, मध्य अंचल कोलकाता, उत्तर पूर्व अंचल, गुवाहाटी के.रि.पु.बल।
2. अपर महानिदेशक,दक्षिण अंचल, केरिपुबल, हैदराबाद।
3. महानिरीक्षक –पश्चिमोत्तर सेक्टर/दक्षिणी सेक्टर/मध्य प्रदेश सेक्टर/ पश्चिमी सेक्टर/पूर्वी सेक्टर/बिहार सेक्टर/उत्तरी सेक्टर/उत्तर पूर्व सेक्टर/कोबरा सेक्टर/मध्य सेक्टर/मणिपुर एवं नागालैंड सेक्टर/श्रीनगर सेक्टर/जम्मू सेक्टर/ त्रिपुरा सेक्टर/द्रु.का.बल सेक्टर/राजस्थान सेक्टर/पश्चिम बंगाल सेक्टर/ओड़िसा सेक्टर/झारखंड सेक्टर/छत्तीसगढ़ सेक्टर/ऑप्स कश्मीर सेक्टर/ऑप्स जोरहाट सेक्टर, के.रि.पु.बल।
4. महानिरीक्षक/प्राचार्य, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू/ केरिपुबल अकादमी, कादरपुर, के.रि.पु.बल।
5. सभी संयुक्त अस्पतालों के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
6. सभी ऑप्स/सिगनल/प्रशिक्षण संस्थान/पीडीजी सहित सभी रेंजों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
7. सभी ग्रुप केन्द्रों/के.ह.भंडारों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
8. सिग्नल/द्रु.का.बल/कोबरा/एसडीजी/पीडीजी बटा0 के कमांडेंट सहित सभी बटालियनों के कमांडेंट, केरिपुबल।

हस्ता0 07/04/2016
(बी.पी.सिंह)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

आंतरिक :–

महानिदेशक के स्टॉफ अधिकारी एवं वरिष्ठ निजी सचिव।
अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण)/(मुख्यालय)/(ऑप्स एवं निर्माण) के वरिष्ठ निजी सचिव।
वित्तीय सलाहकार/महानिरीक्षक –
(कार्मिक/ऑप्स/प्रशा0/निर्माण/संचार/स्थापना/संभरण/प्रशिक्षण/आसूचना/विशेष प्रशिक्षण/निदेशक(चिकित्सा)/ सलाहकार (आसूचना/प्रशिक्षण)) के सहा.कमा./निजी सचिव।
उप महानिरीक्षक (कल्याण/निर्माण/विधि/ऑप्स–1/2/कार्मिक/गोप0 एवं सतर्कता/स्थापना/संगठन/भर्ती/प्रशिक्षण–1/2/3/स्पोर्टस/तकनीकी/आई.टी. /उपकरण/संचार/संभरण/मोटर परिवहन एवं आयुध/आसूचना/उप वित्तीय सलाहकार/जनसंपर्क अधिकारी)
कमांडेंट (आसूचना/निर्माण/संभरण/ऑप्स)
महानिदेशालय के सभी शाखाएं।

के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ, द्वारा महानिदेशालय, केरिपुबल, ब्लॉक नं0 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003.

संख्या– डब्ल्यू. पॉच– 34/2015–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो दिनांक 30 अप्रैल, 2021

## कार्यालय आदेश में अनुशेष

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक– 06/01/2016 और 07/04/2016 के क्रम में।

कार्यालय आदेश संख्या– डब्ल्यू– 34/2015 – सीडब्ल्यूए– कल्याण–दो, दिनांक– 06/01/2016 में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन/अनुशेष किया जाता है, जिसमें के.रि.पु.बल के कार्मिकों के विकलांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करने के लिए के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ ने ''**मुस्कान–द स्माइल**'' नामक एक योजना शुरू की थी :–

| पैरा | के लिए | पढ़ें |
|---|---|---|
| 3 (ii) | योजना का उद्देश्य :– सेवानिवृत्त कर्मियों सहित केरिपुबल परिवारों के विकलांग और मानसिक रूप से मंद बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करना, जिनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीएस(एमए) नियमावली/सीजीएचएस नियमों के तहत कवर नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की गई सावधि जमा (एफडी) के ब्याज से प्राप्त राशि एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार राशि उपयोग की जाएगी। | योजना का उद्देश्य :– राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित सावधि जमा (एफडी) से प्राप्त ब्याज की राशि एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मियों सहित केरिपुबल परिवारों के अत्यधिक आवश्यकता वाले विकलांग और विशेष रूप से विकलांग बच्चों को 50 % या उससे अधिक विकलांगता के लिए व्हील चेयर प्रदान करना। |

हस्ता0 30/04/2021

(पंकज कुमार)

उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

संख्या– डब्ल्यू.पॉच–34/2015–सीडब्ल्यूए–कल्याण–दो दिनांक 30 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. विशेष महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर अंचल, जम्मू, मध्य अंचल कोलकाता, उत्तर पूर्व अंचल, के.रि.पु.बल, गुवाहाटी एवं दक्षिण अंचल, केरिपुबल, हैदराबाद।
2. सभी सेक्टर मुख्यालयों के महानिरीक्षक।
3. सभी प्रशिक्षण संस्थानों के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक ।
4. सभी संयुक्त अस्पतालों के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
5. सभी रेंजों के उप महानिरीक्षक ।
6. सभी ग्रुप केन्द्रों/के.ह.भंडारों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
7. सभी बटालियनों के कमांडेंट।

हस्ता0 30/04/2021
( पंकज कुमार )
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

आंतरिक :–

महानिदेशालय की सभी शाखाएं।